तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5592/2003/जालोर** **खिवणी बनाम गवरी (फोत)(नाम तर्क), भाकरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.10.2022	**खण्डपीठ** **श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **उपस्थित** श्री ओ.एल.दवे, अभिभाषक अपीलांट श्री लोकेन्द्र सिंह राणावत, श्री श्रीनिवास बेनीवाल, श्री वरदान अरोडा, अभिभाषक रेस्पो0 **निर्णय** यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली दिनांक 14–8–2003 प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी बाबत गवरी बेवा खेताजी ने बंटवारा, इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद परीक्षण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जो दिनांक 15–4–2002 को डिक्री किया गया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15–4–2002 के विरूद्ध अपलांट ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष अपील पेश की, जो निर्णय व डिक्री दिनांक 14–8–2003 द्वारा अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गई है। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील में सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादीया गवरी द्वारा अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही परीक्षण न्यायालय के समक्ष भाकरा एवं पदमा पुत्रान खेता को पक्षकार बनाते हुए वाद प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी भाकरा ने इकबाल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5592/2003/जालोर** **खिवणी बनाम गवरी (फोत)(नाम तर्क), भाकरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जवाब दावा पेश किया एवं प्रतिवादी सं.2 पदमा का स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके कायम मुकामान ने भी कोई जवाब दावा मौका देने के बावजूद पेश नहीं किया। तुदपरान्त जवाब दावा पेश करने का अवसर समाप्त किया गया। अपीलांट/प्रार्थीया को इस वाद की जानकारी मिलने पर उसने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसने रेकार्डेड खातेदार पदमा पुत्र खेता से खसरा नंबर 147 रकबा 2.54 हेक्टेयर भूमि 52000/–रूपए में खरीद की है तथा खरीदे गये खसरा नंबर 147 रकबा 2.54हेक्टेयर के 1/2 हिस्से पर बहैसियत रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्रार्थीया को अपने खातेदारी हकूकों से वंचित करने के उद्देश्य से प्रार्थीया को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया है जबकि प्रार्थीया बोनाफाइड परचेजर है। इसलिए प्रार्थीया/अपीलांट ने पक्षकार बनाने के लिए निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30–5–2000 को उज्रदार द्वारा नकल नहीं दिया जाना एवं उपस्थित नहीं होना लिखते हुए प्रार्थना पत्र को दिनांक 30–5–2000 को अस्वीकार कर दिया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे न्यायालय ने वादिनी की इच्छा के विरूद्ध किसी अन्य को पक्षकार बनाने के लिए उसे बाध्य नहीं करने एवं उपस्थित नहीं होने को लापरवाही मानते हुए एवं आदेश दिनांक 30–5–2000 के विरूद्ध निगरानी का प्रावधान होने का आधार बनाते हुए प्रार्थना पत्र दिनांक 23–1–2001 को अस्वीकार कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में दिनांक 11–4–2001 को प्रस्तुत की, जिसमें उसी दिन पत्रावली तलब कर, नोटिस जारी कर अग्रिम कार्यवाही स्थगित की गई। अपीलांट ने कार्यवाही स्थगित करने के संबंध में दस्ती आदेश प्राप्त कर परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश होते हुए भी निर्णय का या स्थगन आदेश वेकेट होने का इन्तजार किये बिना ही अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 15–4–2002 द्वारा वादिया का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5592/2003/जालोर** **खिवणी बनाम गवरी (फोत)(नाम तर्क), भाकरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वाद खसरा नंबर 147 रकबा 2.54 हेक्टर के बाबत डिक्री कर दिया। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की। अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों की गहराई में गये बिना ही गैर कानूनी रूप से अपील को दिनांक 14-8-2003 को अस्वीकार कर दिया। उनका तर्क है कि जब परीक्षण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही स्थगित करने संबंधी राजस्व मण्डल के स्थगन आदेश की प्रति दस्ती ले जाकर प्रस्तुत कर दी गई थी और दोनों न्यायालय यह मानते हैं कि राजस्व मण्डल में निगरानी अभी भी विचाराधीन है तो परीक्षण न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय स्पष्टतया राजस्व मण्डल के आदेश की अवमानना की ताईद में आता है क्योंकि आदेश प्राप्त होने के बाद परीक्षण न्यायालय को दावे में आगे कार्यवाही नहीं करनी थी। अपीलीय न्यायालय ने भी इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर न कर अपीलांट की अपील को अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय हैं। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को समवर्ती निष्कर्ष व समवर्ती निर्णय विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के आधार पर स्पष्ट है कि परीक्षण न्यायालय में रेस्पो0/वादी पक्ष द्वारा धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा पेश किया गया था, जो दिनांक 15-4-2002 को परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट पक्ष की पूर्ण व समुचित सुनवाई के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5592/2003/जालोर** **खिवणी बनाम गवरी (फोत)(नाम तर्क), भाकरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अभाव में ही स्वीकार कर डिक्री कर दिया गया। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पदमा पुत्र खेता ने वादग्रस्त भूमियों में अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा अपीलांट पक्ष को दिनांक 2-11-1999 को बेचान कर दिया। इस विक्रय पत्र के संबंध में दिनांक 11-1-2001 को नामान्तरकरण भी उनके पक्ष में स्वीकार होकर वह राजस्व रिकार्ड में खातेदार बन गये थे। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती देकर आदिनांक तक अपास्त भी नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में दिनांक 15-4-2002 को अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व क्रेता पक्ष को मूल वाद में पक्षकार संयोजित कर उन्हें सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही निर्णय किया जाना अपेक्षित था, जो नहीं किया गया। इसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। क्रेता पक्ष द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र वास्ते मूल वाद में पक्षकार बनने हेतु भी प्रस्तुत किया गया था उसे भी दिनांक 13-5-2002 को खारिज कर दिया गया, जिसके कारण उनकी समुचित साक्ष्य व सुनवाई नहीं हो सकी, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांट पक्ष ने रिव्यू प्रार्थना पत्र परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उसे भी खारिज कर दिया गया। इसके संबंध में राजस्व मण्डल में दिनांक 11-4-2001 को निगरानी पेश की गई थी, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय का रेकोर्ड तलब करने व स्थगन के आदेश पारित किये गये थे। इन रिकोर्ड तलबी व स्थगन आदेश के बावजूद भी उनकी अवहेलना करते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 15-4-2002 को निर्णय पारित कर दिया गया, जिसे विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति के आधार पर स्पष्ट है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 14-8-2003 व 15-4-2002 विधिक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री/टी0ए0/5592/2003/जालोर** **खिवणी बनाम गवरी (फोत)(नाम तर्क), भाकरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

रूप से न्यायोचित नहीं होने के कारण अपास्त योग्य पाये जाते हैं।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 14-8-2003 व 15-4-2002 अपास्त किये जाते हैं। मूल ही प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त वर्णित तथ्यात्मक व विधिक स्थिति को मध्यनजर रखते हुए और क्रय की गई भूमि में 1/3 हिस्से के विधिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभय पक्ष दिनांक 28-10-2022 को परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंवे।

निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
सदस्य

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष